<u>न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,</u> <u>गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश</u>

प्रकरण क्रमांक : 2346 / 2014

संस्थापन दिनांक : 31.12.2014

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.

- अभियोजन

बनाम

1—सोनू खां पुत्र गुलसेर खां उम्र 22 वर्ष निवासी द्वारिकापुरी मौ थाना मौ जिला भिण्ड

– अभियुक्त

<u>निर्णय</u>

(आज दिनांक.....को घोषित)

- उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 323, 506 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 07.06.14 को 09:30 बजे द्व ारिकापुरी मौ पर फरियादी फिरोजा अ0सा01 को लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया तथा फरियादी फिरोजा अ0सा01 की मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की तथा फरियादी फिरोजा अ0सा01 को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 07.06.14 को करीब 09:30 बजे फरियादी फिरोजा अ0सा01 का पड़ौसी आरोपी सोनू उसके घर में बिना बुलाये चला आया जब उसने सोनू से बिना बुलाये घर पर आने से मना किया तो इसी बात पर सोनू ने लाठी उठाकर उसके सिर में मारी जो बांयी कलाई में लगी जिससे चोट होकर खून निकल आया तथा बांये हाथ में तीन जगह चोटें आई तथा एक लाठी बांये जांघ में मारी जिससे मूंदी चोट आई जब वह चिल्लाई तो राजा खान अ0सा02 व सुम्मा खां अ0सा04 बचाने आये। तत्पश्चात फरियादी फिरोजा अ0सा01 ने आरोपी के विरुद्ध थाना मौ पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी—1 दर्ज कराई जिस पर से अप0क0 213/14 पर पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला

बनना प्रतीत होने से अभियोगपत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपी ने आरोपित आरोप को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

4. प्रकरण के निराकरण हेत् विचारणीय प्रश्न है कि :--

- 1. क्या दिनांक 07.06.14 को 09:30 बजे द्वारिकापुरी मौ पर फरियादी फिरोजा अ0सा01 को लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया ?
- 2. क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर आरोपी ने फरियादी फिरोजा अ0सा01 की मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- 3. क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर आरोपी ने फरियादी फिरोजा अ0सा01 को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

/ / विचारणीय प्रश्न क्रमांक ०१ लगायत ०३ का सकारण निष्कर्ष / /

- 5. फिरोजा अ0सा01 ने कथन किया है कि दिनांक 09.06.16 से दो वर्ष पूर्व जब वह घर पर अकेली थी तब आरोपी सोनू उसके घर आ गया उसने बिना बुलाये आने का कारण पूछा तो आरोपी डिब्बे खोलने लगा और बांये और दांये हाथ पीठ व पांव में लाठी मारी। आरोपी उसे आंगन से खींचकर सडक पर ले गया जहां उसकी मारपीट की और गाली गलौच की। शुम्मा अ0सा04 और राजा अ0सा02 आ गये। उसने घटना की रिपोर्ट प्र0पी–1 की थी
- . राजा अ0सा02 ने कथन किया है कि दिनांक 09.06.16 से दो—ढाई वर्ष पूर्व प्रातः 10—11 बजे आरोपी सोनू फिरोजा अ0101 को गाली गलौच दे रहा था उसका घरबगल में ही है इसलिए जब लडाई की आवाज आई तब वह पहुंचा सोनू फिरोजा को डण्डे मार रहा था जो हाथ पांव में मारे फिर उसने जाकर बीच बचाव किया जो उसके बाद फिरोजा ने थाने पर जाकर रिपोर्ट की थी।
- शुम्मा अ०सा०४ ने कथन किया है कि दिनांक 24.08.16 से डेढ वर्ष पूर्व 9—10 बजे वह पडौस में मिट्टी खोद रहा था और जब वह आवाज सुनकर आया तब कोई झगडा नहीं हो रहा था परन्तु भीड़ इकट्ठी थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि सोनू ने फिरोजा के लाठी मारी और इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने घटना देखी थी और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी—3 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
- डॉ० आर०विमलेश अ०सा०३ का कथन है कि वह दिनांक ०७.०६.१४ को सी.एच.सी. मौ में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्र०आरक्षक ७०५ थाना मौ द्वारा लाये जाने पर उसने आहत फिरोजा अ०सा०१ का मेडीकल परीक्षण करने पर आहत के चोट नं०१ खरोंच २.१गुणा१/४ से.मी. बांयी भुजा के पृष्ठ भाग पर तथा चोट नं०२ खरोंच १.४गुणा१/४ से.मी. बांयी कलाई के जोड़ पर तथा चोट नं०३ नील निशान ५गुणा१.२से.मी. बांयी जांघ पर पायी थी। आहता दाहिने कूल्हे में दर्द की शिकायत बता रही थी। उक्त समस्त चोटें सख्त, कुंद, खुरदरी वस्तु से आई हुई प्रतीत होती हैं जो उसके परीक्षण के 12 घण्टे की

3

अवधि की होकर साधारण प्रकृति की हैं। चिकित्सीय रिपोर्ट प्र0पी-2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

फिरोजा अ०सा०१ ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि सोनू उसके यहां मजदूरी का काम करता था जिसकी मजदूरी का पैसा वह देती थी और पैरा 3 में इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी के मजदूरी के पैसे निकलते थे जिसे वह मांगने गया था और उसे रूपये न देना पड़े इस कारण उसने झूठी रिपोर्ट की है। राजा अ०सा०२ ने आरोपी के मजदूरी के पैसे फिरोजा अ०सा०१ पर निकलने और उसे मांगने के कारण झूठी रिपोर्ट लिखवाये जाने के तथ्य की जानकारी होने से इंकार किया है। अतः आरोपी व फरियादी के मध्य पूर्व से नियोक्ता व कर्मचारी के संबंध स्थापित थे लेकिन फरियादी पर आरोपी के मजदूरी के पैसे आना और उसे मांगने पर मिथ्या फंसाये जाने के तथ्य को फरियादी ने इंकार किया है। बचाव पक्ष द्वारा इस संबंध में कोई स्पष्ट साक्ष्य पेश नहीं की गयी है कि कितना पैसा फरियादी द्वारा देय था जो उसने नहीं दिया और धनराशि इतनी थी कि आरोपी को मिथ्या फंसाये जाने की संभावना प्रबल हो सके।

10. फिरोजा अ0सा01 ने कथन किया है कि उसने रिपोर्ट प्र0पी—1 व कथन प्र0डी—1 में लिखवा दिया था कि आरोपी डब्बे खोले जिसका लोप उक्त दस्तावेजों में होने का वह कारण बताने में असमर्थ रही है। उक्त तथ्य लोप की श्रेणी में आता है परन्तु आरोपी के कृत्य से संबंधित होने से अत्यधिक तात्विक नहीं है।

11. फिरोजा अ०सा०1 और राजा अ०सा०2 ने प्रतिपरीक्षण में इंकार किया है कि उसे फिसलने से उक्त चोट आई है। चिकित्सक डॉ० आर०विमलेश अ०सा०3 ने स्वीकार किया है कि आहत को सीढियों से गिरने के कारण उक्त चोट आना संभव है लेकिन सीढियों से फिसलने का सुझाव स्वयं फिरयादिया को ही नहीं दिया गया है। अतः चिकित्सक के प्रतिपरीक्षण में आये उक्त तथ्य से बचाव पक्ष को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

12. फिरोजा अ0सा01 ने कथन किया है कि उसे करीब पांच चोटें आईं थी। मुख्यपरीक्षण में भी हाथ पांव व पीठ में चोट होने का उल्लेख किया है। चिकित्सक द्वारा भी पांव, जांघ में सदृश्य चोट और कूल्हे पर दर्द की शिकायत का उल्लेख किया है। अतः फिरोजा द्वारा उल्लिखित चोटों की संपुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से भी होती है।

13. फिरोजा अ०सा०१ ने पैरा 3 में स्वीकार किया है कि राजा अ०सा०२ उसका भानजा है राजा ने भी प्रतिपरीक्षण में फिरोजा को मामी होना बताया है। अतः दोनों साक्षीगण नातेदार साक्षी हैं। परन्तु मात्र नातेदार साक्षी होने से स्वमेव उनके कथन पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में राजा ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि घटना के समय उसके अलावा और कोई नहीं था और बाद में मोहल्ले के लोग आये थे। अतः राजा अ०सा०२ ही घटना का एकमात्र आहत के अलावा प्रत्यक्ष साक्षी है। अतः एकल साक्षी होने से मात्र नातेदार होने के कारण उपहति के संबंध में उसके दिए कथन अविश्वसनीय नहीं रहते हैं।

14. अतः बचाव पक्ष आरोपी को मजदूरी के पैसे पर मिथ्या फंसाया जाने की प्रतिरक्षा को उचित रूप से प्रमाणित करने में असफल रहा है। फिरोजा अ0सा01 ने उपहित के संबंध में मुख्यपरीक्षण में स्पष्ट कथन किया है जो प्रतिपरीक्षण में भी अखण्डित रहा है। जिसकी संपुष्टि राजा अ0सा02 के कथन से भी हुई है और गिरने से चोट आने की प्रतिरक्षा बचाव पक्ष स्पष्ट नहीं कर सका है। अतः फिरोजा

अ0सा01 व राजा अ0सा02 ने आरोपी द्वारा उपहित कारित किए जाने के संबंध में कथन विश्वसनीय व निर्भर रहने योग्य हैं जिनकी संपुष्टि साक्षी डॉ०आर०विमलेश अ0सा03 के कथन से भी हुई है। अतः उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में सफल रहता है कि आरोपी ने फिरोजा अ0सा01 को स्वेचछा उपहित कारित की।

- 15. फिरोजा अ०सा०१ ने अथवा साक्षी राजा अ०सा०२ ने आरोपी द्वारा अश्लील शब्द उच्चारित किए जाने अथवा जान से मारने की धमकी दिए जाने का कथन नहीं दिया है। अतः मौखिक साक्ष्य के अभाव में यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी ने फिरोजा अ०सा०१ को आपराधिक अभित्रास किया अथवा अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया।
- परिणामतः उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में सफल रहता है कि आरोपी ने दिनांक 07.06.14 को 09:30 बजे झारिकापुरी मौ पर फरियादी फिरोजा अ0सा01 की मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की । परन्तु यह साबित करने में असफल रहता है कि आरोपी ने फरियादी फिरोजा अ0सा01 को लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया अथवा आरोपी ने फरियादी फिरोजा अ0सा01 को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 17. परिणामतः आरोपी को धारा 323 भा.द.स. के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। आरोपी को धारा 294, 506 भाग दो भा.द.स. के आरोप में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
- 18. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त कर उसे अभिरक्षा में लिया जाता है।
- 19. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों पर विचार किया गया। अरोपी ने अकारण विधवा महिला फिरोजा अ०सा०१ को उपहित पहुंचायी है जो कि अतिनिन्दनीय कृत्य है। अतः आरोपी का आचरण ऐसा नहीं है कि उसे परिवीक्षा का लाभ प्रदान किया जाये अतः आरोपी को परिवीक्षा का लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा है।
- 20. प्रकरण दण्ड के प्रश्न पर सुनने हेतु कुछ देर बाद पेश हो।

सही / – (गोपेश गर्ग) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्च:

- 21. आरोपी के अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। उनके द्वारा आरोपी को प्रथम अपराधी होने से नवयुवक होने के कारण अल्प सजा दिए जाने का निवेदन किया है।
- 22. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आहत फिरोजा अ०सा०१ को मात्र तीन खरोंचे आईं हैं अतः कारावास का दण्डादेश दिया जाना न्यायोचित

प्रतीत नहीं होता है। अतः आरोपी को धारा 323 भा.द.स. के आरोप में एक हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा न्यायालय उठने तक के कारावास से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड जमा करने के व्यतिक्रम की दशा में आरोपी को दस दिवस का साधारण कारावास भुगताया जाये।

23. धारा 357 दप्रस के अधीन अपील अवधि पश्चात 500 / —रूपये प्रतिकरण राशि आहत फिरोजा अ0सा01 को संदाय की जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

ALIMAN PARIS SUNTY SUNTY

24. प्रकरण में आरोपी अभिरक्षा में नहीं रहा है।

दिनांक :-

सही / –
(गोपेश गर्ग)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0